

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1395 / 2012 / उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘सी’, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अनमोल मार्बल, अशोक नगर, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/01/2015

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘सी’, उदयपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या 175/सीएसटी/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.01.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के प्रत्यर्थी के वर्ष 2001-02 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ‘केन्द्रीय अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 9(2) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 व वेट अधिनियम की धारा 26, 61 व 100 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.12.2003 को पारित किया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ‘सी’ फॉर्म संख्या 801101 के सम्बन्ध में बिक्री कर विभाग मुम्बई से जांच की जाने पर उनके पत्र क्रमांक 125 दिनांक 28.01.2010 से स्पष्ट किया गया कि व्यवहारी द्वारा घोषणा-पत्र में बिल संख्या 18 राशि रूपये 47,549/- व बिल संख्या 9 राशि 47,069/- का अतिरिक्त इन्द्राज कर करापवंचन किया गया है। इसी प्रकार ‘सी’ फॉर्म संख्या 3782310 बिल संख्या 10 राशि रूपये 49,880/- के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स के पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 10.02.2009



लगातार.....2


से बताया गया कि क्रेता व्यवहारी मैसर्स जेनसन मार्बल सेन्टर, मुम्बई द्वारा मैसर्स अनमोल मार्बल्स (प्रत्यर्थी) से कोई माल क्रय नहीं किया गया है तथा 'सी' फॉर्म बोगस है। उक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 व वेट अधिनियम की धारा 26, 61 व 100 के तहत आदेश दिनांक 31.03.2010 पारित करते हुए कर रूपये 15,316/-, ब्याज रूपये 18,686/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 30,632/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.01.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी व शास्ति अपास्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म संख्या 8011001 एवं 3782310 के सम्बन्ध में की गई जांच में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण के सदृश प्रकरण 3 वेट रिपोर्टर 292 वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम कोहिनूर इण्डस्ट्रीज जोधपुर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति को अपास्त किया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से राजस्व की अपील अस्वीकार की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 3 वेट रिपोर्टर 292 वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम कोहिनूर इण्डस्ट्रीज जोधपुर का ससम्मान अध्ययन किया गया, जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-




**"Declaration Forms - Fake & Forged 'C' Forms - Effect on imposition of penalty - Penalty cannot be imposed without proof of deliberate act on the part of the assessee for using fake & forged 'C' forms. However, the assessee is liable to pay tax and interest for delay in its payment."**

7. माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रस्तुत प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

8. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
13-01-2015  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य